कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं. एचआरडी-II/त्रैमासिक स्थापना रिटर्न/2025/14652 दिनांक: 29 दिसंबर 2025

सेवा में,

सभी अपर कें.भ.नि.आ(मुख्यालय) (अंचल)/निदेशक पीडीनास
सभी अपर कें.भ.नि.आ (अंचल)
अपर कें.भ.नि.आ (प्र.से.प्र), मुख्यालय/ अपर कें.भ.नि.आ (आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान)

विषय: - तिमाही स्थापना रिटर्न - के संबंध में

संदर्भ: - दिनांक 26.04.2019 के परिपत्र सं. एचआरएम-VIII/1/वार्षिक रिपोर्ट/2019/725

महोदया/महोदय

कृपया ऊपर उद्धृत परिपत्र का संदर्भ लें।

2. स्थाई अनुदेशों के अनुसार, तिमाही रिटर्न जमा करना एक निरंतर और अनिवार्य आवश्यकता है और रिटर्न पिछली तिमाही की समाप्ति के 20 वें दिन तक मुख्यालय तक पहुंच जानी चाहिए। इसलिए आंचलिक कार्यालयों से अनुरोध है कि वे अनुलग्नक 'ए' से 'के' के रूप में संलग्न नए प्रारूप में अपने क्षेत्राधिकार के तहत संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अंचल के विधिवत हस्ताक्षरित त्रैमासिक स्थापना रिटर्न अग्रेषित करें।

3. त्रैमासिक स्थापना रिटर्न को संशोधित किया गया है ताकि इसमें स्वीकृत और कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, पेंशनभोक्ताओं और पारिवारिक पेंशनभोक्ताओं की संख्या, एफआर 56(जे) के तहत समीक्षा किए गए/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम और संख्या, अनिवार्य सेवानिवृत्त, बर्खास्त और हटाए गए अधिकारियों, पदोन्नति की संख्या और संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति/गैर-कार्यात्मक उन्नयन (एमएसीपी/एनएफयू) के लिए अधिकारियों का विवरण, अधिवर्षिता और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की संख्या, लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही की संख्या, निलंबन मामलों की संख्या, और आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थिति और शिकायतों का विवरण, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलों के लिए संपर्क अधिकारियों का विवरण शामिल किया जा सके।

4. उपर्युक्त रि पोर्टों की सॉफ्ट कॉपी, एक्सेल प्रारूप में, ई-मेल द्वारा rc.hrm8@epfindia.gov.in पर भी भेजी जानी चाहिए।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

भवदीय

29/12/25

उदय गुप्ता

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -II(एचआरडी-II)

प्रतिलिपि

1) कें.भ.नि.आ के निजी सचिव को कें.भ.नि.आ के सूचनार्थ ।
2) सभी प्रभारी अधिकारी(क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कार्यालय)
3) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, एनडीसी को वेब परिचालन के लिए